

विद्या भारती उत्तराखण्ड

सी.एस.आर प्रोजेक्ट तैयार करने हेतु बिन्दु निर्माण सम्बन्धी

- 1- सी.एस.आर. फॉर्म कम्प्यूटराईज्ड (अंग्रेजी में)
- 2- प्रान्त समिति का सोसाईटी रजिस्ट्रेशन
- 3- 80^{जी}
- 4- 12ए
- 5- प्रान्त समिति का पेन नम्बर
- 6- विद्यालय का पेन नम्बर(विद्यालय का पेन नम्बर आवश्यक है)
- 7- नेशनल बैंक एकाउण्ट
- 8- केन्सिल चैक
- 9- निर्माण का नक्शा- नक्शा नियमों के तहत बना हो, शासकीय निर्माण अथोरटी से पस हो। जैसे प्राधिकरण
- 10- स्टीमेट विस्तार से हो।
- 11- एस.ओ.आर की कॉपी
- 12- भवन निर्माण हेतु स्थानीय गवर्निंग एथोरटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र
- 13- 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट (प्रत्येक विद्यालय का ऑडिट होना अनिवार्य है)
- 14- भूमि के कागज नोटरी करके, साथ में खाता खतोनी के कागज 143 सहित
- 15- ई.सी.एस. फार्म बैंक द्वारा (सी.एस.आर. फॉर्म पर संलग्न है)
- 16- 100 रु. का एफीडेविट (सी.एस.आर. फॉर्म पर संलग्न है)
- 17- समिति की सूची
- 18- मान्यता के कागज
- 19- जी.एस.टी. प्रमाण पत्र (सी.ए.द्वारा)
- 20- ओ.एन.जी.सी. द्वारा किया गया भवन निर्माण से कितने छात्र-छात्राओं को एवं समाज के तिने लोगों को इसका लाभ मिलेगा यह पत्र विद्यालय के प्रबन्धक जी द्वारा दिया जाएगा।
- 21- भवन की देखरेख की जिम्मेदारी का पत्र विद्यालय के प्रबन्धक जी द्वारा।
- 22- छात्रों का विवरण(स्तरानुसार-एस.सी.,एस.टी.आदि)
- 23- कक्षाशः शुल्क विवरण
- 24- आचार्य विवरण
- 25- प्रत्येक पेज पर प्रबन्धक जी के हस्ताक्षर

भवन निर्माण हेतु जिन विद्यालयों के उपरोक्त पत्रावली पूर्ण होने की सम्भावना है वे पत्रावली पूर्ण करा लें।